# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 11/19 निर्णय दिनांक :– 17/6/2019

1. श्री रामप्रसाद जाट पुत्र श्री श्यौजी राम जाट जाति जाट निवासी बृजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

...वादी

बनाम

2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान

.....प्रतिवादी

**<u>दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>**

वादी का वाद निम्न प्रकार पेश किया गया :–

वाद की शामलाती कब्जे काश्त व खरीदारी की भूमि आराजी में खसरा नं0 322 रकबा 0.03 है, कुल किती 1 कुल रकबा 0.03 है। भूमि वाके ग्राम बृजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादी के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में श्योजी, सेवा पुत्रान गोपी जाति जाट सा देह अंकित कर रखा है। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट निवासी बृजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से यादी के पिता नाम गलत अंकित कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने [illegible] किसी समझ के अधिकारी के आदेश के बिना नाम दर्ज [illegible] है। जो कानून [illegible] है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता नाम सम्वत 2031–34 साबिक [illegible]रा नं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

143/276 में वादी के पिता का नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट ही दर्ज चला आ रहा है। जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादी राजस्व रिर्काड में अपने पिता के नाम को सही नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट निवासी ग्राम बृजनाथपुरा तहसील चाकसू दुरुस्त करावें, तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें । जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी के पिता नमि सम्वत 2031–34 साबिक खसरा नं0 143/276 में वादी के पिता का नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट ही दर्ज चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी के पिता नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोपी कर दिया गया है। जो कि वह गलत है। जो कि वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। वादी अपनी खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के लिए दिनांक 01.01.2019 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले ली तब वादी के पिता का नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोपी अंकित कर रखा है। पहले अपने नाम को दुरुस्त करावो तब वादी को अपने पिता का उक्त गलत नाम की जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में अंकित अपने श्योजी, सेवा पुत्रान गोपी सा. देह के स्थान पर सही नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट निवासी बृजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर दुरुस्त करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावें, जिससे वादी के कब्जे, काश्त के राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं करें। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 01.01.2018 को जब राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेने पर वादी के पि[illegible] नाम गलत अंकित होने के लिये कहने पर उत्पन्न हु[illegible] समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं: 01 भूमिधारी [illegible]ने से पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:06 IST
Reason: SelfAttested

चाकसू (जयपुर)

यह कि याद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित आराजी में खसरा नं० 322 रकबा 0.03 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैं भूमि वाके ग्राम ब्रजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में अंकित श्योजी. सेवा पुत्रान गोपी सा. देह के स्थान पर वादी के पिता का नाम श्योजी, सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट निवासी ग्राम बृजनाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर को दुरूस्त फरमाया जावें तथा इस दुरूस्ती का अंकन राजस्व रिकार्ड में दी करवाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वो वादी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं करें, ना ही स्वयं करे, ना ही अन्य से करावें।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 का ग्राम ब्रजनाथपुरा की राजस्व गाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 47 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 के कम में ग्राम बृजनाथपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता, संख्या 47 में श्योजी, सेवा पुत्र गोपी रामनारायण रमेश गोपाल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/3 जाट 10 देह खातेदार दर्ज है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करे । मद सख्या 3 व 4 के क्रम में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम बृजनाथपुरा सम्वत 2051–70 के अनुसार वर्तमान ख0नं0 322 के गत खसरा नम्बर 143/276 है। ब्रजनाथपुरा की जमाबंदी(खेवट खतौनी) सम्वत् 2031–34 के खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 143/275 किस्म ... चाह श्योजी, धन्ना, सेवा पि0 गोदू हि0 1/3 दर्ज है ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मद संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 10 कानूनी हैं। मद सख्या 11(क) से 11(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दवो का समर्थन करते हुए जवाब सरकार अनुसार वादी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना जाहिर किया गया।

वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम बृजनाथपुरा की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 47 मिलान क्षेत्रफल जमाबंदी संवत 2031–34 की जमाबंदी बतौर सबूत पेश की गयी।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा, जवाब सरकार व प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2031–34 ग्राम बृजनाथपुरा का अवलोकन किया गया तो वादी के पिता नाम श्योजी, सेवा पुत्र गोदू अंकित है, उक्त जमाबंदी के बाद लिपिकीय भूल से वादी के पिता का नाम श्योजी सेवा पुत्रान गोपी अंकित कर दिया गया जो जवाब सरकार व जमाबंदी संवत 2031–34 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 0.03 है0 भूमि वाके ग्राम ब्रजनाथपुरा तहसील चाकसू में अंकित श्योजी, सेवा पुत्रान गोपी सा0 देह के स्थान पर वादी के पिता का नाम श्योजी सेवा पुत्रान गोदू जाति जाट निवासी ब्रजनाथपुरा शुद्ध किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू